

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 271]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 जून 2020 — ज्येष्ठ 20, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 10 जून 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-02/2018/एक/5. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य शिष्टाचार कार्यालय (राजपत्रित तथा अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं,

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची—एक में, सरल क्रमोंक-1 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1.	राज्य शिष्टाचार अधिकारी (प्रोटोकाल)	01	प्रथम श्रेणी	रू0 15600—39100 ग्रे.पे. 7600 —लेवल 14	राज्य शासन"

2. अनुसूची—दो में, सरल क्रमोंक-1 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1.	राज्य शिष्टाचार अधिकारी (प्रोटोकाल)	01	—	100%—	प्रतिनियुक्ति / पदोन्नति द्वारा"

3. अनुसूची-चार के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“अनुसूची-चार
(नियम 13 देखिये)

स.क.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु पात्र होने के लिये अनुभव की न्यूनतम कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सत्कार अधिकारी	राज्य शिष्टाचार अधिकारी	05 वर्ष	1.सचिव सामान्य प्रशासन विभाग 2.उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,कक्ष-5 3.उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष-3	
2.	सहायक सत्कार अधिकारी	सत्कार अधिकारी	05 वर्ष	1. राज्य शिष्टाचार अधिकारी 2. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नामांकित सामान्य प्रशासन विभाग के 02 उप सचिव/अवर सचिव	
3.	सहायक ग्रेड-एक/ सत्कार सहायक	सहायक सत्कार अधिकारी	05 वर्ष	1. राज्य शिष्टाचार अधिकारी 2. सत्कार अधिकारी 3. सचिव द्वारा नामांकित सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव	
4.	सहायक ग्रेड-दो/ लेखापाल (प्रशिक्षित/ अप्रशिक्षित)	सहायक ग्रेड-एक / सत्कार सहायक	05 वर्ष	-तदैव-	
5.	सहायक ग्रेड-तीन	सहायक ग्रेड-दो	05 वर्ष	-तदैव-	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. राठिया, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 10th June 2020

NOTIFICATION

No.F 6-02/2018/एक/5. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment to the service of Chhattisgarh State Courtesy Office (Gazetted and Non-Gazetted), Service Recruitment Rules, 2019 namely:-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. In Schedule-I, for serial number-1 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1.	Courtesy Officer (Protocol)	01	Class – I	Rs. 15600-39100 Grade Pay 7600 Level 14	State Government"

2. In Schedule-II, for serial number 1 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1.	State Courtesy Officer (Protocol)	01	-	100%	By Deputation/ promotion."

3. For Schedule-IV, the following shall be substituted, namely :-

**"SCHEDULE –IV
(See rule 13)**

"S.No.	Name of service or Post from which Promotion to be made	Name of service or Post to which Promotion is to be made	Minimum period of service experience for promotion	Name of the members of the Departmental Promotion committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Protocol Officer	State Courtesy Officer	05 years	1. Secretary, Government of Chhattisgarh, General Administration Department 2. Deputy Secretary, Government of Chhattisgarh, General Administration Department– 5. 3. Deputy Secretary, Government of Chhattisgarh, General Administration Department– 3.	
2.	Assistant Protocol Officer	Protocol Officer	05 years	1. State Courtesy Officer 2. 02 Deputy Secretary/Under Secretary of General Administration Department nominated by the Secretary, General Administration Department	

3.	Assistant Grade-I/ Assistant Protocol	Assistant Protocol Officer	05 years	1. State Courtesy Officer 2. Protocol Officer 3. Under Secretary of General Administration Department Nominated by the Secretary, General Administration Department	
4.	Assistant Grade-II/ Accountant (Trained/ Untrained)	Assistant Grade-I/ Protocol Assistant	05 years	do.....	
5.	Assistant Grade-III	Assistant Grade-II	05 years	do....."	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R.P. RATHIA, Deputy Secretary.